(180)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण क्रमांक निग. R 4221/पीबीआर/16 विरूद्ध आदेश दिनांक 25.02.2015 पारित द्वारा अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर प्रकरण क्रमांक 106/12-13/अपील.

घनश्याम पुत्र श्री मंशाराम मिर्घा
निवासी ग्राम गोबरा, तहसील डबरा
जिला ग्वालियर, म.प्र. .....आवेदक

विरूद्ध

मध्यप्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर
जिला ग्वालियर, म.प्र. .....अनावेदक

श्री बृजेन्द्र सिंह धाकड़, अभिभाषक, आवेदक
श्री कमल जैन, अभिभाषक, अनावेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 12/9/18 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, नर्मदापुरम् संभाग, होशंगाबाद द्वारा पारित दिनांक 25.02.2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि ग्राम गोबरा की भूमि सर्वे क्रमांक 244, 245, 246, 18, 247, 278, 352, 503, 466 एवं 332 की अवैध प्रविष्टियों बावत् शिकायत प्राप्त होने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपने पत्र दिनांक 28.03.2012 के द्वारा हितबद्ध व्यक्तियों को सुनवाई का अवसर देते हुए आवश्यक कार्यवाही के निर्देश तहसीलदार, डबरा को दिये गये। इन निर्देशों के अनुक्रम में तहसील न्यायालय द्वारा प्र. क्रमांक 8/11-12/अ-6-अ दर्ज कर उपलब्ध तथ्य

एवं साक्ष्य के आधार पर दिनांक 15.05.2012 को घनश्याम कोटवार का नाम निरस्त कर सेवाभूमि दर्ज किये जाने के आदेश दिये गये। तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी, डबरा के समक्ष प्रस्तुत की गई। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 20.09.2012 को आदेश पारित कर अपील निरस्त की गई अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के समक्ष प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 25.02.2015 को आदेश पारित कर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश स्थिर रखते हुए अपील निरस्त की गई। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई। है।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं-

(1) अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवेदक ने महिला पार्वती बेवा पत्नी भगवानलाल की भूमि सर्वे क्रमांक 65 मिन-3 बीघा 5 बिस्वा को विक्रय अनुबंध के आधार पर जिसका विधिवत तहसीलदार द्वारा आदेश दिनांक 02.05.1986 के द्वारा भूमिस्वामी स्वत्व घोषित किया गया। उक्त भूमि भूमि-स्वामित्व की होने से अवैधानिक रूप से शासकीय भूमि मानकर निरस्त करने में त्रुटि की गई है।

(2) मध्यप्रदेश शासन द्वारा कोटवार को दी गई सेवा खाते की भूमि शासकीय अभिलेख में विधिवत दर्ज होकर चली आ रही है, उसके उपरांत भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना जांच पड़ताल किये, आवेदक के सम्पूर्ण भूमि को सेवा भूमि मानने में त्रुटि की गई है।

(3) आवेदक को मध्यप्रदेश शासन की नीति के अनुसार भूमिहीन होने के कारण भूमि सर्वे क्रमांक 41 रकबा 0.256 हैक्टेयर तथा भूमि सर्वे क्रमांक 148 रकबा 0.199 हैक्टेयर का व्यवस्थापन तहसीलदार द्वारा विधिवत वर्ष 1986 में किया गया था, जो ना तो सेवा खाते की भूमि है। ऐसी स्थिति में गलत शिकायत के आधार पर बिना जांच पड़ताल किये आवेदक की सम्पूर्ण भूमि को अवैधानिक रूप से निरस्त करने में त्रुटि की गई है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित विवादित आदेश प्राकृतिक न्याय सिद्धांतों के विपरीत होने से निरस्त किया जाना न्यायसंगत है।

(4) विधिवत आवेदक के हित में वर्ष 1986 में किये गये व्यवस्थापन पट्टा, आदेश के खिलाफ किसी प्रकार की अपील अथवा निगरानी नहीं की गई, जिससे वह आदेश अंतिम हो गया,

तब ऐसी स्थिति में दुबारा से पृथक कार्यवाही कर रेसज्यूडीकेटा के सिद्धांत के अनुसार प्रचलित नहीं की जा सकती।

(5) अधीनस्थ न्यायालय इस तथ्य का भी अवलोकन नहीं किया गया कि संहिता की धारा 115 एवं 116 के अंतर्गत केवल त्रुटि सुधारने हेतु एक वर्ष निर्धारित की गई है, जो 18 वर्ष पश्चात् त्रुटि सुधार नियमों एवं प्रतिपादित सिद्धांतों के विपरीत जाकर आवेदक के स्वामित्व के भू-भाग को निरस्त करने में एवं सुधार करने में गंभीर त्रुटि की है। इस संबंध में 1981 आर.एन. 275, 1982 आर.एन. 238 एवं 1960 एम.पी.एल.जे. 230 (डी.बी.) के न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किये गये हैं।

(6) अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस तथ्य का अवलोकन नहीं किया कि अपंजीकृत प्रलेख के आधार पर नामांकन जो निर्धारित अवधि के बाहर अध्यासन प्रतिकूल अध्यासन द्वारा स्वामित्व उत्पन्न हुआ, जिसे साक्ष्यों द्वारा प्रचलित किया गया है। इस सभी तथ्यों का अवलोकन किए बिना पारित आलोच्य आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। इस संबंध में 1983 आर.एन. 93 का न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किया गया है।

(7) अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस तथ्य का अवलोकन नहीं किया गया कि जब एक बार नामांकन हो गया, भूमिस्वामी की साक्ष्य एवं सहमति से एवं विक्रय अनुबंध के आधार पर किया गया तब प्रतिपादित विधि के सिद्धांतों के विपरीत पारित आलोच्य आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। इस संबंध में 1979 आर.एन. 474 (डी.बी.) एवं 1987 आर.एन. 119 के न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किये गये हैं।

(8) अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करने में कानूनी गंभीर भूल की है, ऐसी शक्तियों के अधीन पूर्व नामांतरण को अपास्त नहीं किया जा सकता। इस संबंध में 1970 आर.एन. 333 एवं 1988 आर.एन. 279 के न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किये गये हैं।

(9) विधि का यह भी सिद्धांत है कि जब सारवान न्याय के लिए तथा न्याय की विफलता को तकनीकी आधार पर जोर न दिया जाकर विलंब को क्षमा करते हुए उसके गुणा-गुण पर विचार किया जाना न्यायसंगत है। इस संबंध में 2001(9) एस.एस.सी. 294 एस.सी., 1982 एस.सी. 18 एवं 1981(3) एस.सी.सी. 122 एस.सी. के न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किये गये हैं।

(10) विधि का यह भी सिद्धांत है कि विलंब क्षमा करने का परिणाम गुणवान विषय को त्यक्त करने के रूप में हो जाता है और इस कारण न्याय का उद्देश्य परास्त हो जाता है, इसके

विपरीत यदि विलंब क्षमा किया जाता है तो ज्यादा से ज्यादा यह हो सकता है कि प्रकरण के पक्षकारों को सुनने के उपरांत गुणागुण पर निराकृत किया जाना चाहिए। इस संबंध में ए.आई.आर. 2010 झारखण्ड 39 का न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किया गया है।

(11) विधि का यह भी सिद्धांत है कि प्रकरण के तथ्यों एवं परिसीमा के संबंध में उदारतापूर्वक रूख अपनाते हुए एवं सद्भाविक तौर पर शिथिलता बरतते हुए न्यायहित में व्यतीत समय को क्षमा किया जाकर निगरानी अवधि अंतर्गत सुना जाना न्यायसंगत है। इस संबंध में ए.आई.आर. 1987-1353 एस.सी. का न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किया गया है।

4/ अनावेदक के विद्वान शासकीय अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अधीनस्थ न्यायालयों आयुक्त, अनुविभागीय अधिकारी एवं तहसील न्यायालय द्वारा विधिसंगत आदेश पारित किया गया है, जो कि स्थिर रखे जाने योग्य है। यह भी कहा गया कि तहसील न्यायालय एवं अधीनस्थ अपीलीय न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष हैं, जिनमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है। उनके द्वारा निगरानी निरस्त कर अधीनस्थ न्यायालयों का आदेश स्थिर रखने का अनुरोध किया गया।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक के कोटवार की सेवा भूमि में स्वत्व कैसे बनते हैं, यह आवेदक प्रमाणित नहीं कर पाया है । तहसील न्यायालय द्वारा अधिकारिता रहित प्रविष्टियॉ निरस्त की गई है तथा पूर्व में पारित आदेशों के अनुक्रम में संशोधन के आदेश दिये गये है जो उचित एवं विधिसंगत है । तहसील न्यायालय के विधिसंगत आदेश की दोनों अपीलीय न्यायालयों द्वारा पुष्टि करने में वैधानिक एवं उचित कार्यवाही की गई है । अत: तीनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा निकाले गये समवर्ती निष्कर्ष हस्तक्षेप योग्य नहीं है। इस संबंध में 2012 आर.एन. 438 तुलसीदास विरूद्ध सालिगराम में निम्नलिखित न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है :-

"धारा 50 - तीनों निचले न्यायालयों के एक ही निष्कर्ष - पुनरीक्षण में हस्तक्षेप अपेक्षित नहीं ।"

उपरोक्त न्यायिक सिद्धांत के प्रकाश में अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 25-2-2015 नीतिगत एवं उचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 25-2-2015 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

रीडर

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर